

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री धर्मेन्द्र वर्मा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:- 15/2024

तारीख दायर-14.06.2024

तारीख- निर्णय-08.08.2025

1. श्री भेरा पिता दामा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री मेघा पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री सांवरा पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री नाना पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती कंकुडी पत्नी कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमती कंकुडी पत्नी कालु जाति-मीणा जरिये संरक्षक नाबालिक मीरा पिता कालु मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)



बनाम

1. श्री कालीया पिता मेघला जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया हाल मुकाम दासगुडा, धरियावद जिला प्रतापगढ (राज.)
2. श्री उदा पिता नारिया जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री अर्जुन पिता देवा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री पुंजीलाल पिता पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती रुकमणी पत्नी पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमती संजुडी पिता पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम सजुडी पत्नी लालुराम बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्रीमती प्रियंका पिता पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्रीमती रूपा पिता कमला, जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्री मानु पिता कमला, जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती खेमणी पिता कुमला जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम खेमणी पत्नी लोगर निवासी लालपुरा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती उदकी पिता कुमला जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम उदकी पत्नी केशा जाति मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

34. श्री मेघराज पिता डाया जाति भीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम
बोरज तहसील सलूमबर जिला सलूमबर (राज.)
35. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुष्कर लाल भीणा
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा



निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा बेडासोटा पटवार क्षेत्र कूण भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कूण तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 06 व पुराना 05 के आराजी नम्बर 124/1 रकबा 5.6160 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 124/2 रकबा 0.4860 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 125 रकबा 0.0108 है0, आराजी नम्बर 126 रकबा 0.1404 है0, आराजी नम्बर 127 रकबा 0.1188 है0, आराजी नम्बर 128 रकबा 0.0108 है0, आराजी नम्बर 129/1 रकबा 0.4104 है0, आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1404 है0, आराजी नम्बर 155 रकबा 0.0648 है0, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.1728 है0, आराजी नम्बर 161 रकबा .3564 है0, आराजी नम्बर 163 रकबा 0.2700 है0, आराजी नम्बर 173 रकबा 0.2052 है0, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.1836 है0, कुल कित्ता 14 कुल रकबा 8.1864 हैक्टैयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीया भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पेत्रक भूमि होकर मोरूस नरदा जी के वक्त से चली आ रही है। उक्त भूमि पूर्व में श्री नरदा जी के नाम दर्ज थी, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि अपने सातों पुत्र मेघा,वालिया, वेणिया, हेमला, दामा, उंकार, डाया के मध्य 1/7-1/7 हिस्से अनुसार पांति कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि पर उपरोक्त हिस्से अनुसार उनके सातों पुत्र काबिज हुयें। स्व0 श्री नरदा के निधन के वक्त मेघा,वालिया, वेणिया, हेमला, उंकार, डाया होशियार थें एवं कर्ता खानदान थें व उस समय दामा नाबालिक व भोला था तब मेघा,वालिया, वेणिया, हेमला, उंकार, डाया ने राजस्व कर्मियों से मिलीभगत कर दामा के हिस्से की भूमि भी अपने नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवा ली। परन्तु मौके पर नरदा के सातों पुत्रों मेघा,वालिया, वेणिया, हेमला, दामा, उंकार, डाया का बराबर-बराबर हिस्सा होकर काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगणों को भलीभांती ज्ञात है कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर मोरूसी सम्पत्ति है। परन्तु मेघा,वालिया, वेणिया, हेमला, उंकार, डाया के वारिसान खातेदारी का फायदा उठाकर दामा के वारिसान के साथ लडाई झगडा करते हैं एवं काशत करने से रोकते हैं। इसलिये माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है अत-निवेदन है कि वाद पत्र में वर्णित हिस्से अनुसार वादी-प्रतिवादीगणों को खातेदार काशतकार घोषित फरमाये जाने की डिक्री पारित कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के



न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी की साक्ष्य में गवाह वादी का स्वयं का शपथ-पत्र पी.डब्ल्यू-1, पी.डब्ल्यू-2 मेघा पिता कालु, पी.डब्ल्यू-3 सांवरा पिता कालु, पी.डब्ल्यू-4 नाना पिता कालु, पी.डब्ल्यू-5 श्रीमती कंकुडी पत्नी कालु, पी.डब्ल्यू-6 कंकुडी पत्नी कालु जरिये संरक्षक भीरा पिता कालु (नाबालिक) के शपथ पत्र पेश हुए जो जिन्हें शामिल मिसल किये एवं प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने वादपत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजान का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजान एवं तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट के अवलोकरण से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर मौरूसी सम्पत्ति है। जिसमें दामा का राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है जबकी दामा नरदा का पुत्र है। अतः वादी अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा बेडासोटा पटवार क्षेत्र कूण भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कूण तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 06 व पुराना 05 के आराजी नम्बर 124/1 रकबा 5.6160 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 124/2 रकबा 0.4860 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 125 रकबा 0.0108 है0, आराजी नम्बर 126 रकबा 0.1404 है0, आराजी नम्बर 127 रकबा 0.1188 है0, आराजी नम्बर 128 रकबा 0.0108 है0, आराजी नम्बर 129/1 रकबा 0.4104 है0, आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1404 है0, आराजी नम्बर 155 रकबा 0.0648 है0, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.1728 है0, आराजी नम्बर 161 रकबा .3564 है0, आराजी नम्बर 163 रकबा 0.2700 है0, आराजी नम्बर 173 रकबा 0.2052 है0, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.1836 है0, कुल कित्ता 14 कुल रकबा 8.1864 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें वादी-प्रतिवादी का हिस्सा नरदा के पुत्र (1) मेघा पिता नरदा फोट हो जाने के बाद उनका पुत्र कालीया पिता मेघला 1/7 हिस्से का, (2) वालीया के पुत्र नारिया फोट होने के बाद उनके वारिसान उदीया 1/70 हिस्से का, केशरी (पत्नी) 1/70 हिस्से का, देवा 1/70 हिस्से का, पदमा 1/70 हिस्से का, नाथू पिता नारिया 1/70 हिस्से का, कुमला पिता वालिया 1/14 हिस्से का (3) वेणिया फोट होने पर उनके वारिसान नारण 1/21 हिस्से का, वावरिया 1/21 हिस्से का, लालिया 1/21 हिस्से का (4) हेमला पिता नरदा 1/7 हिस्से का (5) दामा पिता नरदा फॉत होने से उनके वारिसान भेरा 1/14 हिस्से का, कालु पिता दामा फॉत हो जाने से उनके वारिसान कंकुडी पत्नी कालु 1/70 हिस्से का, मेघा पिता कालु 1/70 हिस्से का, सांवरा पिता कालु 1/70 हिस्से का, नाना पिता कालु 1/70 हिस्से का, मिरा पिता कालु 1/70 हिस्से का, (6) उँकारिया पिता नरदा फोट होने के उपरान्त उनके वारिसान चोखली पत्नी उँकारिया -1/28 हिस्से का, केशा पिता उँकारिया 1/28 हिस्से का, गल्ला पिता उँकारिया 1/28 हिस्से का, राजिया पिता उँकारिया 1/28 हिस्से का, एवं (7) डाय पुत्र नरदा का हिस्सा 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिग्री पर्चा जारी किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

Dt

निर्णय आज दिनांक ...08.08.2025...को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Dh
(धर्मेन्द्र वर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूमबर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
पीठासीन अधिकारी:- श्री धर्मेन्द्र वर्मा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:- 15/2024

तारीख दायर-14.06.2024
तारीख- निर्णय-08.08.2025

वादी पक्ष

1. श्री भेरा पिता दामा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री मेघा पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री सांवरा पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री नाना पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती कंकुडी पत्नी कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमती कंकुडी पत्नी कालु जाति-मीणा जरिये संरक्षक नाबालिक मीरा पिता कालु जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)



बनाम

1. श्री कालीया पिता मेघला जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया हाल मुकाम दासगुडा, धरियावद जिला प्रतापगढ (राज.)
2. श्री उदा पिता नारिया जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री अर्जुन पिता देवा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री पुंजीलाल पिता पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती रुकमणी पत्नी पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमती संजुडी पिता पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम सजुडी पत्नी लालुराम बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्रीमती प्रियंका पिता पदमा जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्रीमती रूपा पिता कमला, जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्री मानु पिता कमला, जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती खेमणी पिता कुमला जाति-मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम खेमणी पत्नी लोगर निवासी लालपुरा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

५

31. श्री राजीया पिता उंकार जाति मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम समेल तहसील लसाडिया जिला सलूम्वर (राज.)
32. श्री लोगर पिता डाय जाति मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम बोरज तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)
33. श्री खेमा पिता डाय जाति मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम बोरज तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)
34. श्री मेघराज पिता डाय जाति मीणा निवासी बेडासोटा तहसील लसाडिया, हाल मुकाम बोरज तहसील सलूम्वर जिला सलूम्वर (राज.)
35. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुष्कर लाल मीणा
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा



पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 08.08.2017 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है एवं मौजा बेडासोटा पटवार क्षेत्र कूण भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कूण तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 06 व पुराना 05 के आराजी नम्बर 124/1 रकबा 5.6160 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 124/2 रकबा 0.4860 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 125 रकबा 0.0108 है0, आराजी नम्बर 126 रकबा 0.1404 है0, आराजी नम्बर 127 रकबा 0.1188 है0, आराजी नम्बर 128 रकबा 0.0108 है0, आराजी नम्बर 129/1 रकबा 0.4104 है0, आराजी नम्बर 129/2 रकबा 0.1404 है0, आराजी नम्बर 155 रकबा 0.0648 है0, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.1728 है0, आराजी नम्बर 161 रकबा .3564 है0, आराजी नम्बर 163 रकबा 0.2700 है0, आराजी नम्बर 173 रकबा 0.2052 है0, आराजी नम्बर 174 रकबा 0.1836 है0, कुल कित्ता 14 कुल रकबा 8.1864 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी (1) मेघा पिता नरदा फोट हो जाने के बाद उनका पुत्र कालीया पिता मेघला 1/7 हिस्से का, (2) वालीया के पुत्र नारिया फोट होने के बाद उनके वारिसान उदीया 1/70 हिस्से का, केशरी (पत्नी) 1/70 हिस्से का, देवा 1/70 हिस्से का, पदमा 1/70 हिस्से का, नाथू पिता नारिया 1/70 हिस्से का, कुमला पिता वालिया 1/14 हिस्से का (3) वेणिया फोट होने पर उनके वारिसान नारण 1/21 हिस्से का, बावरिया 1/21 हिस्से का, लालिया 1/21 हिस्से का (4) हेमला पिता नरदा 1/7 हिस्से का (5) दामा पिता नरदा फोंत होने से उनके वारिसान भेरा 1/14 हिस्से का, कालु पिता दामा फोंत हो जाने से उनके वारिसान कंकुडी पत्नी कालु 1/70 हिस्से का, मेघा पिता कालु 1/70 हिस्से का, सांवरा पिता कालु 1/70 हिस्से का, नाना पिता कालु 1/70 हिस्से का, मिरा पिता कालु 1/70 हिस्से का, (6) उँकारिया पिता नरदा फोट होने के उपरान्त उनके वारिसान चोखली पत्नी उँकारिया -1/28 हिस्से का, केशा पिता उँकारिया 1/28 हिस्से का, गल्ला पिता उँकारिया 1/28 हिस्से का, राजिया पिता उँकारिया 1/28 हिस्से का, एवं (7) डाय पुत्र नरदा का हिस्सा 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(धर्मेन्द्र वर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्वर (राज.)